उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-171/2024/आई/531133/41-2099-29-2024-CN-1795815
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2024
संख्या-163/ 2024/आई/530730/002-41-2099-29-2024-CN-1795815 दिनांक 28.03.2024
का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-11738/गोरखपुर/भूमि/भवन क्रय/2023-24 दिनांक 30.03.2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार श्री योगानन्द जी की जन्मस्थली मोहल्ला मुफ्तीपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर की भूमि/भवन क्रय किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-163/ 2024/आई/530730/002-41-2099-29-2024-CN-1795815 दिनांक 28.03.2024 के प्रस्तर-4 में रू0 17.5005 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख पांच हजार मात्र) के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू0 17.505 करोड़ अंकित हो गयी है।

3. अत: शासनादेश संख्या-163/ 2024/आई/530730/002-41-2099-29-2024-CN-1795815 दिनांक 28.03.2024 के प्रस्तर-4 में टंकण त्रुटिवश अंकित धनराशि रू0 17.505 करोड़ को रू0 17.5005 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ पचास लाख पांच हजार मात्र) ही पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2024 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-11738/गोरखपुर/भूमि/भवन क्रय/2023-24 दिनांक 30.03.2024 के सन्दर्भ में।
4. अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
6. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
10. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, गोरखपुर।
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
15. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in